उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-194/2017/1854/92-2-2017-138जांच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 31 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-महाराजगंज में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2009-10 में विकास खण्ड-घुघली में पिपरा ब्राहमन उर्फ बारी गांव में महुआरी में मधुबन के घर से कुशहर के घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य की अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.05.2017 में परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 3,22,152.12 के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अनूप कुमार गुप्ता, (तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-महाराजगंज) सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-विन्ध्याचल मण्डल को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-194/2017/1854(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-1821/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/व्य0प0/2017-18 दिनांक 05.10.2017 के क्रम में।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्याचल मण्डल को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र **(संलग्नक सहित)** मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in